

## फलों और सब्जियों हेतु एगमार्क मानक

दिनांक 14 जून 2004 के जी.एस.आर.220 के अनुसार दिनांक 26.6.2004 के पृष्ठ 1209-1285 पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित फल एवं सब्जियां ग्रेडिंग और अंकन नियम, 2004		दिनांक 9.8.2007 के जी.एस.आर के अनुसार भारत के राजपत्र में प्रकाशित फल एवं सब्जियां ग्रेडिंग और अंकन (संशोधन) नियम, 2007		भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाले प्रकाशित फल एवं सब्जियां ग्रेडिंग और अंकन (संशोधन) नियम	
1.	टेबल अंगूर	1.	स्ट्रॉबेरीज	1.	नारंगी
2.	लीची	2.	चेरी	2.	लाइम्स
3.	आम	3.	खरबूजा	3.	नींबू
4.	अनन्नास	4.	तरबूज	4.	चकोतरा
5.	अनार	5.	फलियां	5.	संतरे
6.	अमरूद	6.	गोभी	6.	सेब
7.	शेलिंग मटर	7.	नाशपाती	7.	खोल में अखरोट
8.	शुगर स्नैप पीज़	8.	भिंडी	8.	छिलकेदार अखरोट
9.	ब्रसल स्प्राउट	9.	लाल मिर्च	9.	आलू
10.	हेडिड केबिज	10.	शिमला मिर्च	10.	आमला/ आंवला
11.	रिड सेलेरी	11.	चीकू		
12.	पालक	12.	शरीफा		
13.	केले	13.	ककड़ी		
14.	पपीता	14.	गाजर		
15.	बेर				
16.	टमाटर				
17.	लहसुन				
18.	प्याज़				

लिंक : <http://agmarknet.nic.in/fveggmrules04.htm#rules>